न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 124/2021

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 रमेश विश्नोई पुत्र धोकलराम 2 गीतादेवी पत्नी धोकलराम जातियान विश्नोई निवासीगण सिन्दरो की ढाणी, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर राजस्थान		1 ढगलाईदेवी पुत्री भुराराम पत्नी मांगीलाल जाति सिरवी निवासी शिवपुरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान 2 तहसीलदार (भूमि धारक) सोजतसिटी जिला पाली राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत अपास्त करने निर्णय मय डिक्री दिनांक 30/06/2016 राजस्व वाद संख्या 04/2014 बअनवान ढगलाई बनाम रमेश वगैरा

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाश चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री ताराचंद टांक अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 13/12/22

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा में एक राजस्व मूल वाद 04/2014 बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 व अप्रार्थी संख्या 2 के अनवान वादीया ढगलाई बनाम प्रतिवादीगण रमेश विश्नोई वगैरा का दिनांक 18/1/2014 को प्रस्तुत किया गया था। वादीया द्वारा उक्त वाद में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया कि ग्राम हरिपुर पटवार हल्का शिवपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नबंर 779 रकबा 2.1900 हैक्टर में से 1/8 हक हिस्से की वादीया खातेदार काश्तकार है तथा 1/8 हक हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया, जो वाद न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 04/2014 दर्ज होकर प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण को जरिये समन तलब करने के आदेश पारित हुए । प्रकरण में दिनांक 30/06/2016 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प अटल सेवा केन्द्र शिवपुरा में प्रस्तुत होकर प्रकरण में प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में एक पक्षीय निर्णय मय डिक्री पारित की गई, जिस एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री को एक पक्षीय निर्णय मय डिक्री को अपास्त करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष निम्न लिखित आधारों सहित प्रस्तुत है–

न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय मय डिक्री पारित दिनांक 30/6/2016 प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से पारित होने, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को श्रीमान न्यायालय में दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

218/01/2014 को दर्ज किया जाकर पत्रावली दिनांक 28/1/2014 को प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब होकर पत्रावली नियत की गई। दिनांक 28/1/2014 की आदेश तालिका अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के समन बाद तामिल नही लौटे है, पत्रावली पुनः इन्तजार होकर दिनांक 18/2/2014 नियत की गई तथा दिनांक 18/2/2014 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पत्रावली दिनांक 19/3/2014 नियत की गई तथा दिनांक 19/3/2014 को वकील वादीया/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पुनः पीएफ समन पेश किये तथा रजिस्टर्ड पोस्ट हेतु तलबी जारी कर दस्ती के आदेश पारित किये गये तथा पत्रावली पुनः दिनांक 23/04/2014 को मुकर्रर की गई तथा दिनांक 23/4/2014 को पीठासीन अधिकारी पुनः अवकाश पर होने से दिनांक 21/05/2014 को नियत की गई ।

दिनांक 21/5/2014 को अधिवक्ता वादी द्वारा पीएफ समन पेश किये तथा पत्रावली तलबी हेतु दिनांक 16/7/2014 मुकर्रर की गई, दिनांक 16/7/2014 से 19/8/2014, 16/9/2014, 14/10/2014 तक पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पत्रावली लगातार इल्तवा रही, तथा दिनांक 14/10/2014 को पुनः आदेश तालिका अनुसार प्रतिवादीगण के समन बाद तामिल नही लौटे है। इस बाबत पुनः तहसीलदार सोजत को लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 12/11/2014 को नियत हुई तथा दिनांक 12/11/2014 को पुनः तलब व पीएफ पेश करने के आदेश हुए, ।

दिनांक 10/12/2014 को भी पूर्व आदेश की पालना हेतु दिनांक 12/1/2015 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से दिनांक 11/02/2015 व दिनांक 11/2/2015, 17/3/2015 व 20/4/2015 तक तामिल समन नही लौटे है, की आदेश तालिका अंकित है तथा दिनांक 21/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अभियान होने के कारण पत्रावली पेश हुई, प्रतिवादीगण के समन तामिल, अदम तामिल प्राप्त नही हुए है, पत्रावली पुनः दिनांक 19/8/2015 को पेश हुई।

दिनांक 30/07/2015 को बिना किसी आदेश के पत्रावली को दिनांक 30/07/2015 को पेशी में ली जाकर दिनांक 21/9/2015, 27/10/2015 मुकर्रर की गई तथा दिनांक 27/10/2015 को पूर्व आदेश की पालना होकर पत्रावली दिनांक 01/12/2015 नियत की गई, दिनांक 01/12/2015 की आदेश तालिका अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तलबी हेतु पीएफ समन पेश करने पर रजिस्टर्ड एडी के भिजवाने के आदेश किये जाकर पत्रावली दिनांक 05/1/2016 नियत की गई। दिनांक 5/1/2016 से उक्त पालना हेतु दिनांक 16/2/2016 को नियत हुई तथा दिनांक 16/2/2016 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से दिनांक 04/04/2016 से 10/05/2016 नियत की गई । पत्रावली दिनांक 05/5/2016 में ली जाकर दिनांक 30/06/2016 को नियत की गई, तथा दिनांक 30/06/2016 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प शिवपुरा में प्रस्तुत की जाकर

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

बिना प्रार्थीगण की उपस्थिति में बिना पत्रावली पर किसी प्रकार का राजीनामा रेकर्ड पर लिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित उक्त निर्णय मय डिक्री पारित कर तहसीलदार सोजत से विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जाकर पालना हेतु तहसीलदार सोजत को आदेश पारित किये गये तथा पत्रावली फैसल शुमार कर दी गई। जबकि दिनांक 30/06/2016 को न तो प्रार्थीगण ग्राम शिवपुरा कैम्प में उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत कर बंटवाड़ा हेतु सहमति प्रदान की गई, न ही कोई पत्रावली पर राजीनामा पृथक से प्रस्तुत किया गया।

उक्त आदेश तालिका अनुसार भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त दिनांक को उपस्थित नही थे, तथा प्रकरण में दिनांक 30/06/2016 को जो प्रस्ताव विभाजन तहसीलदार सोजत द्वारा मुर्तिब किया गया, जिस फर्द पर भी कही पर प्रार्थीगण के कोई हस्ताक्षर नही है और न ही प्रार्थीगण वक्त विभाजन प्रस्ताव उपस्थित थे, अर्थात जो प्रस्ताव विभाजन तैयार किया गया, वह भी प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में एक पक्षीय तैयार करवाया गया, जो कि कानूनन विधि विरूद्ध है। जिससे भी यह तथ्य स्पष्ट है कि दिनांक 30/06/2016 को पारित निर्णय मय डिक्री प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में एक पक्षीय रूप से पारित किये गये, जो निर्णय मय डिक्री प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है। श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत वाद में पत्रावली पर प्रार्थीगण को प्रेषित समन की सम्यक रूप से कतई प्रार्थीगण को तामिल नही हुई है, पत्रावली पर प्रेषित सम्मन रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण को समन अदम तामिल नही लौटे, की रिपोर्ट अंकित है, न्यायालय की तमाम आदेशिकाओं अनुसार प्रार्थीगण को कभी भी वाद के समन तामिल होने बाबत नही है। अर्थात उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को वाद के संबंध में किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नही हुई और न ही उक्त वाद की जानकारी हुई है, न ही प्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा प्रेषित सम्मन अथवा रजिस्टर्ड एडी प्राप्त हुई है, जबकि विधिनुसार किसी भी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात तथा उसको सम्यक रूप से समन तामिल होने के बाद उसको सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना कानूनन आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थीगण को वाद व पारित निर्णय मय डिक्री की किसी प्रकार से कोई जानकारी नही रही है। इसलिए प्रकरण में पारित निर्णय मय डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। वादपत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि के खसरा नबंर 779 रकबा 2.1900 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थीगण को 7/8 वां हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का स्थित है तथा शेष 1/8 वां हक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का आया हुआ स्थित है। लेकिन अप्रार्थी/वादीया संख्या 1 द्वारा गलत रूप से राजस्व कर्मचारियों के समक्ष खसरा नबंर 779 की भूमि को अपनी भूमि होना बताकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया गया है, जबकि खसरा नबंर 779 जो रास्ते के चिपते है, उस पर वक्त खरीद से प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है तथा प्रस्ताव विभाजन अनुसार संबंधित पटवारी हल्का द्वारा बिना प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

उपस्थिति में बिना कब्जे की जांच किये खसरा नबंर 779/1 की भूमि को प्रार्थीगण की भूमि होना बताया है, जो गलत है। खसरा नबंर 779 रास्ते से शुरू होकर रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आज दिनांक तक चला आया है। प्रार्थीगण को उक्त राजस्व रेकर्ड में विधि विरूद्ध रूप से निर्णय व डिक्री की पालना में किये गये अमल दरामद की पूर्व से कोई जानकारी नही थी, लेकिन प्रार्थीगण मौके पर जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि नक्शे में खसरा नबंर 779 दर्शायी है, वह भी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की है। उक्त खसरा नबंर 779 के मुख्य रास्ते के भू–भाग वाले हिस्से पर कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 का आज दिनांक तक कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नही रहा है। दिनांक 24/7/2021 को अप्रार्थी संख्या 1 व उसका पति वादस्थ भूमि पर आये तथा मौके पर आकर खसरा नबंर 779 की भूमि पर आकर प्रार्थीगण को कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नही करने हेतु एलानियां धमकियां देने लगे तथा उक्त प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर अपना हक जमाने लगे, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पति को ऐसा विधि विरूद्ध कृत्य नही करने हेतु निवेदन किया तथा कहने लगे कि उक्त भूमि तो न्यायालय आदेश से हमारे नाम दर्ज हो चुकी है तथा राजस्व रेकर्ड में हमारे नाम तरमीम हो चुकी है, तथा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मय डिक्री की पालना में उक्त अमल दरामद होने की जानकारी दी गई। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त संबंध में पटवारी हल्का से सम्पर्क किया। प्रार्थीगण को न्यायालय आदेश से संबंधित उक्त अमल दरामद होने बाबत जानकारी प्राप्त होने पर श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मय डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 26/7/2021 को आवेदन प्रस्तुत किया, तथा दिनांक 02/08/2021 को उक्त वादपत्र मय निर्णय मय डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई कि श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना सम्यक रूप से तामिल हुए, प्रार्थीगण की बिना उपस्थिति में एक पक्षीय निर्णय मय डिक्री पारित की गई, जो कि प्रार्थीगण के संवैधानिक अधिकारों के विपरित होने से उक्त निर्णय मय डिक्री अपास्त होने योग्य है।, प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में जानबूझकर किसी प्रकार की उपेक्षा व लापरवाही नही रखी है, इसलिए दिनांक 30/06/2016 से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी में लगे समय को कण्डोन किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। जिस हेतु पृथक से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अलग से पेश है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विधि विरूद्ध रूप से प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि को अपनी भूमि होना बताकर उक्त निर्णय मय डिक्री की आड में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात करने पर उतारू है, जिसका कि अप्रार्थी संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त नही है। इसलिए श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मय डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। निर्णय

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

मय डिक्री दिनांक 30/06/2016 को श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित होने से उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर अधिवक्ता मय प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद संख्या 04/2014 बअनवान वादीया ढगलाई बनाम प्रतिवादीगण रमेश विश्नोई वगैरा में पारित एक पक्षीय निर्णय मय डिक्री दिनांकित 30/06/2016 को अपास्त की जाकर प्रार्थीगण को वाद में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने धारा 05 का प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त अनवान प्रकरण का प्रार्थना पत्र लिखवाया है, जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है। दिनांक 24/7/2021 को अप्रार्थी संख्या 1 व उसका पति वादस्थ भूमि पर आये तथा मौके पर आकर खसरा नबंर 779 की भूमि पर आकर प्रार्थीगण को कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नही करने हेतु एलानियां धमकियां देने लगे तथा उक्त प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर अपना हक जमाने लगे, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पति को ऐसा विधि विरूद्ध कृत्य नही करने हेतु निवेदन किया तथा कहने लगे कि उक्त भूमि तो न्यायालय आदेश से हमारे नाम दर्ज हो चुकी है तथा राजस्व रेकर्ड में हमारे नाम तरमीम हो चुकी है, तथा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मय डिक्री की पालना में उक्त अमल दरामद होने की जानकारी दी, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त संबंध में पटवारी हल्का से सम्पर्क किया, जिस पर प्रार्थीगण को न्यायालय आदेश से संबंधित उक्त अमल दरामद होने बाबत जानकारी प्राप्त होने पर श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मय डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 26/7/2021 को आवेदन प्रस्तुत किया, तथा दिनांक 02/08/2021 को उक्त वादपत्र मय निर्णय मय डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना सम्यक रूप से तामिल हुए, प्रार्थीगण की बिना उपस्थिति में एक पक्षीय निर्णय मय डिक्री पारित की गई, जो कि प्रार्थीगण के संवैधानिक अधिकारों के विपरित होने से उक्त निर्णय मय डिक्री अपास्त होने योग्य है। उक्त दिनांक 02/08/2021 से पूर्व प्रार्थीगण को उक्त निर्णय मय डिक्री की किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी, जानकारी प्राप्त होते ही उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में जानबूझकर किसी प्रकार की उपेक्षा व लापरवाही नही रखी है, इसलिए दिनांक 30/06/2016 से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी में लगे समय को कण्डोन किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

इस पर राजस्व प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 को बावजूद तामिली

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर (राज.)

सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 17.08.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर अधिवक्ता श्री ताराचंद टांक ने दिनांक 11.05.2022 को वकालत नामा पेश किया तथा जबाब प्रा0 पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी की ओर से पारित डिक्री दिनांक 30.06.2016 को अपास्त करने हेतु 05 वर्ष बाद यह प्रा0 पत्र बिना किसी संतोषप्रद देरीना कारणों को प्रकट किये प्रस्तुत की है जो अवधि पार है इस प्रकार देरीना के प्रस्तुत जबाब संतोषजनक न होने से स्वीकार योग्य नहीं रहता है। उपरोक्त प्रकरणों में आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रा0 पत्र की समय सीमा प्रा0 डिक्री की दिनांक से मानी जाती है जो म्याद अवधि मात्र 30 दिन की है। प्रा0 डिक्री के साढे पांच वर्ष बाद प्रार्थी की ओर से यह प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है जो आधार हीन तथ्यों पर आधारित होने से खारीज़ योग्य है। यह की माननीय न्यायालय द्वारा प्रा0 डिक्री की पालना में तहसीलदार, सोजत द्वारा मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया व इस प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री दिनांक 30.06.2016 को जारी होने के बाद पटवारी हल्का ने मौके पर प्रस्ताव के अनुसार भूमि का विभाजन कर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया, मौके पर अलग–अलग बंट किये गए। इस विभाजन की कार्यवाही की जानकारी प्रार्थी को प्रारम्भ से ही थी क्योकि प्रा0 डिक्री के प्रस्ताव के बाद प्रार्थी के हिस्से में जो कृषि भूमि खसरा नंबर 779 रही उस पर उसने लगातार सावणु फसल बोई है यदि विभाजन न होता तो उसके द्वारा उसी दौरान एतराज किया जा सकता था मगर प्रार्थी ने विभाजन के बाद अपने हिस्से की भूमि पर लगातार काश्त की है जो साथ संलग्न गिरदावरी से प्रमाणित है। प्रार्थी ने इस तथ्य को जानबूझ कर छुपाया है उसे माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को पूर्ण रूप से जानकारी है। प्रार्थी का कहना है कि उसे उक्त प्रकरण में सम्मनस की तामिल नहीं हुई गलत होने से अस्वीकार है। मूल वाद में प्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल है, तामिल के बाद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ इसलिए वह लापरवाही का दोषी है। इतना ही नहीं बल्कि शिवपुरा में राजस्व लोक अदालत के केम्प पूर्व हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी व्यक्तिगत तौर पर मोबाइल द्वारा सूचना दी गई थी सूचना के उपरांत के भी प्रार्थी जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुआ और करीब 05 वर्ष बाद यह आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें भी संतोषजनक कारण न बताने से यह प्रा0 पत्र खारीज होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी देने तथा उसी दौरान हल्का पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर न्यायालय हाजा द्वार पारित आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने का कथन किया है। इस गंभीर देरीना का मात्र मौखिक कथन से क्षमा नहीं किया जा सकता, देरी के संतोषजनक कारण बताने होते है प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में पटवारी का शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया है इसलिए वह गंभीर लापरवारही का दोषी है मौके पर भूमि का विभाजन अलग अलग हो चुका है और विभाजन के बाद लगातार 05 वर्ष तक प्रार्थी अपने हिस्से के उपर काश्त कर रहा है प्रस्ताव के अनुसार डिक्री पारित की गई जो विधि

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

सम्मत है। डिक्री के पालना में राजस्व रेकर्ड तथा नक्शा में तरमीम किया जा चुका है। प्रार्थी का उक्त प्रा0 पत्र स्वीकार योग्य नहीं रहता है बल्कि मय खर्चा खारिज योग्य है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद संख्या 04/2014 बअनवान वादीया ढगलाई बनाम प्रतिवादीगण रमेश विश्नोई वगैरा में पारित एक पक्षीय निर्णय मय डिक्री दिनांकित 30/06/2016 को अपास्त की जाकर प्रार्थीगण को वाद में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रार्थी की ओर से पारित डिक्री दिनांक 30.06.2016 को अपास्त करने हेतु 05 वर्ष बाद यह प्रा0 पत्र बिना किसी संतोषप्रद देरीना काराणें को प्रकट किये प्रस्तुत की है जो अवधि पार है इस प्रकार देरीना के प्रस्तुत जबाब संतोषजनक न होने से स्वीकार योग्य नहीं रहता है। उपरोक्त प्रकरणों में आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रा0 पत्र की समय सीमा प्रा0 डिक्री की दिनांक से मानी जाती है जो म्याद अवधि मात्र 30 दिन की है। प्रा0 डिक्री के साढे पांच वर्ष बाद प्रार्थी की ओर से यह प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है जो आधार हीन तथ्यों पर आधारित होने से खारीज योग्य है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात, का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया । अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित बहस प्रा0 पत्र वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। मूल वाद 04/2014 ढगलाई बनाम रमशे वगैहर की आदेशिका का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि 05.05.2016 तक प्रतिवादीगगण की तलबी नही हुई थी। दिनांक 30.06.2016 को पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान में पेश हुई जहॉ प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। एवं अभियान में ही निर्णय एवं डिक्री जारी कर आदेश पारित किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर भी उभयपक्षो के हस्ताक्षर नही है जिससे यह स्पष्ट होता है कि विभाजन प्रस्ताव उभय पक्षो की उपस्थिति में नही बनाया गया है। जिससे प्रार्थीगण को वाद विचाराधीन होने तथा वाद में निर्णय पारित होने के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी होना संभव नही था। जानकारी के अभाव में प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 09 नियम 13 सीपीसी को पेश करना भी संभव नही था। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में वर्णित कथन उचित युक्ति युक्त होने से देरीना अवधि को कण्डोन किया जाता है। चूकि न्यायालय हाजा द्वारा मूल वाद क्रमांक04/2014 बअनवान ढगलाईदेवी बनाम रमेश वगेहर में पारित निर्णय मय डिक्री दिनांक 30.06.2016 बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय पारित किया गया है। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थीगण मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

सीपीसी स्वीकार किया जाना तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2016 को अपास्त किया जाना उचित समझते है।

—: **आदेश** :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है। राजस्व वाद संख्या 04/2014 बअनवान वादीया ढगलाईदेवी बनाम प्रतिवादीगण रमेश विश्नोई वगैरा में पारित एक पक्षीय निर्णय मय डिक्री दिनांकित 30/06/2016 को अपास्त किया जाता है। मूल वाद पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को जरिए सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 19/12/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)